कार्यालय–अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।

Email id: nodalofficerddn@gmail.com Phone/Fax: 0135 2767611

पत्रांकः– 1500 / 12-1 दिनाँकः देहरादून 31 जनवरी, 2024

सेवा में,

उप वन महानिदेशक (के0),
भारत सरकार,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
क्षेत्रीय कार्यालय, 25–सुभाष रोड़,
देहरादून।

विषय :– जनपद– रूद्रप्रयाग में मा0मु0घो0 संख्या–553/2015 के अन्तर्गत स्वीकृति क्यार्क–बरसूड़ी–भैरों बैण्ड से जमेथी तक मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु 1.340 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन। **PROPOSAL NO.- FP/UK/ROAD/40773/2019**

सन्दर्भः– भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून का पत्रांक 8बी./यू.सी.पी./06/70/2021/एफ0सी0/758 दिनांक 30.08.2023

महोदय,

विषयांकित प्रकरण पर भारत सरकार के उपरोक्त सन्दर्भित **EDS दिनांक 30.08.2023** के सम्बन्ध में वन संरक्षक गढ़वाल वृत्त, उत्तराखण्ड, पौड़ी के पत्रांक 1302/12–1 दिनांक 23.12.2023 **(प्रति संलग्न)** के द्वारा प्राप्त सूचना प्रकरण पर अग्रेत्तर आवश्यक कार्यवाही हेतु निम्नानुसार प्रेषित की जा रही है :–

प्रश्न	उत्तर
प्रस्ताव में चार वैकल्पिक संरेक्षण प्रस्तावित किये गए हैं। जिसमें से तीसरे संरेखण के लिए कम से कम क्षेत्र की आवश्यकता प्रतीत हो रही है साथ ही सबसे कम संख्या में वृक्ष प्रभावित हो रहे हैं। परंतु ग्राम वासियों द्वारा स्वीकृति नहीं दिए जाने के कारण यह संरेखण प्रस्तु नहीं किया गया है, जो न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। आपसे अनुरोध है कि वैकल्पिक संरेखण संख्या 3 के अनुसार प्रस्ताव को संशोधित कर प्रस्तुत करने का कष्ट करें। इसके अतिरिक्त, मलवा निस्तारण हेतु स्थलों का भी गैर–वन भूमि में चयन किया जाना सुनिश्चित करें।	वन संरक्षक के उपरोक्त पत्र के द्वारा अवगत कराया गया है कि मोटर मार्ग के संरेखण–3 का भू–गर्भीय निरीक्षण करवाया गया, जिसमें भू–गर्भवेता की रिपोर्ट के अनुसार उक्त संरेखण को उचित नहीं बताया गया है, जिस कारण संरेखण संख्या–3 के अनुसार प्रस्ताव गठित किया जाना एंव मोटर मार्ग का निर्माण किया जाना सम्भव नहीं है। प्रस्तावक विभाग द्वारा उक्त संरेखण की निरीक्षण आख्या परिवेश पोर्टल के अतिरिक्त सूचना में ऑनलाईन अपलोड की गयी है, जिसें संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है। (प्रति संलग्न)

अतः वन संरक्षक/प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा प्रेषित प्रतिउत्तर के कम में प्रश्नगत प्रकरण पर वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत यथोचित कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्नकः– यथोपरि।

भवदीय,

(आर0के0 मिश्र),
अपर प्रमुख वन संरक्षक,
एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण।

संख्या– 1500 / 12-1 दिनांकित।

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. वन संरक्षक गढ़वाल वृत्त, उत्तराखण्ड, पौड़ी।
2. उप वन संरक्षक, रूद्रप्रयाग वन प्रभाग, रूद्रप्रयाग।

(आर0के0 मिश्र),
अपर प्रमुख वन संरक्षक,
एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण।